



# सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-387/2022

दिनांक- 21-नवम्बर-2022

\*प्रेस-विज्ञप्ति\*

\*थाना – देवगाँव\*

\*जान से मारने का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार\*

**\*पूर्व की घटना -\*** दिनांक 20.11.2022 को वादी रामनारायन सिंह पुत्र स्व0 कुंज बिहारी सिंह सा0 भोजपुर पल्हना थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ द्वारा थानास्थानीय पर शिकायत किया गया था कि आबादी की जमीन के विवाद को लेकर विपक्षी 1.कैलाश राजभर पुत्र हंसू राजभर 2. सोनू राजभर पुत्र स्व0 कान्ता राजभर 3. पबारू राजभर पुत्र स्व0 रामकिशुन राजभर 4. शशिकान्त उर्फ घूरहू राजभर पुत्र स्व0 रामकिशुन राजभर सा0 भोजपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने अपने हाथ में लाठी डण्डा गणासी लेकर वादी के घर पर चढ आए और माँ बहन की भद्दी भद्दी गालीयाँ देने लगे वादी का भतीजा आदित्य प्रकाश सिंह मना करने लगा तो उपरोक्त लोग जान से मारने के नियत से दौड़ा लिये जान बचाकर घर में भागा तो उपरोक्त लोग घर में घुसकर जान से मारने की नियत से उसे बुरी तरह मारने लगे जिससे उसके सर में काफी चोटे आयी थी और वह बेहोश हो गया था। उसे बचाने संजय सिंह अभय सिंह व बलिराम सिंह आये तो उपरोक्त लोग उन लोगो को भी बुरी तरह से मारे शोर पर तमाम लोग जुट गये। लोगो को जुटता देख उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुवे भाग गये के सम्बन्ध में थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 448/22 धारा 323/504/506/352/452/307 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 रत्नेश कुमार दुबे द्वारा प्रारम्भ की गयी।

**\*गिरफ्तारी का विवरण -\*** दिनांक 21.11.2022 को उ0नि0 रत्नेश कुमार दुबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. कैलाश राजभर पुत्र हंसू राजभर 2. पबारू राजभर पुत्र रामकिशुन सा0 ग्राम भोजपुर पल्हना थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को पल्हना बाजार से समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

**\*पंजीकृत अभियोग का विवरण -\*** मु0अ0सं0 448/22 धारा 323/504/506/352/452/307 भा0द0वि0

**\*गिरफ्तार अभियुक्त:-\*** 1. कैलाश राजभर पुत्र हंसू राजभर 2. पबारू राजभर पुत्र रामकिशुन सा0 भोजपुर पल्हना थाना देवगाव जनपद आजमगढ़

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -\***

उ0नि0 श्री रत्नेश कुमार दुबे

का0 शिवम तिवारी

का0 सुरेश राजभर

हो0गा0 संजय राम

\*थाना अतरौलिया\*

\*किशोरी को भगाने वाला गिरफ्तार\*

**\*पूर्व का विवरण\***

दिनांक 14.11.22 को वादी मुकदमा द्वारा थानास्थानीय पर शिकायत की गयी कि वादी की लड़की को विशाल यादव पुत्र सभाजीत यादव निवासी मुबारकपुर थाना अतरौलिया जनपद ने बहला फुसाल कर मोटर साइकिल पर बैठा कर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 368/22 धारा 363 IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 लाल बहादुर विन्द द्वारा आरम्भ की गयी। विवेचना और लड़की के बरामदगी के पश्चात मुकदमा उपरोक्त में धारा 366/376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 SC/ST ACT की बढ़ोत्तरी की गयी तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री गोपाल स्वरूप बाजेपयी द्वारा प्रारम्भ की गयी।

**\*गिरफ्तारी का विवरण\***

आज दिनांक 21.11.22 को प्रभारी निरीक्षक नदीम अहमद फरीदी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त विशाल यादव पुत्र सभाजीत यादव निवासी मुबारकपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष विशाल यादव के घर से समय 9.45 AM बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

**\*पंजीकृत अभियोग\***

मु0अ0सं0 368/22 धारा 363/366/376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 SC/ST ACT थाना अतरौलिया आजमगढ़।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त\***

विशाल यादव पुत्र सभाजीत यादव निवासी मुबारकपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष

**\*बरामदगी\***

भगाने के लिये प्रयुक्त मोटर साइकिल नं0 अज्ञात

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण\***

SHO नदीम अहमद फरीदी

का0 श्याम प्रकाश यादव

का0 मुकेश यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

**\*थाना – बरदह\***

**\*अपहरण की घटना में शामिल अभियुक्त गिरफ्तार\***

**\*1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण—\*** दिनांक 16.11.2022 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी का पति अशरफ पुत्र इस्तेयाक उर्फ सब्बू निवासी बक्सपुर थाना बरदह आजमगढ़ व उसके दोस्तों द्वारा रास्ते में जीवली के पास चार पहिया वाहन से मेरे पीछे लग गये और बरदह से पहले अशरफ व उसका दोस्त अजीम खान, अहतशाम खान ने मिलकर मुझे जबरजस्ती गाडी में बैठाकर, मेरा मोबाइल छीनकर स्विच आफ कर दिया और मुझे जान से मारने की नियत से ठेकमा के आगे ले जाकर भगवानपुर के पास इधर उधर घुमाने लगे। मुझे आभास हो गया कि अंधेरे होने का इन्तजार कर रहे हैं। शंका होने पर मैं रोने लगी तभी मेरी बहन ने फोन करके अशरफ को बताया कि मैं पुलिस को सूचना दे रही हूँ तब मुझे ये लोग भगवानपुर नहर पुलिया के पास मेरा मोबाइल मुझे देकर भाग गये। अपहरण की घटना में अब्दुल्लाह व अब्दुल्लाह खान भी शामिल थे। के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 370/22 धारा 376/364/313/504/506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना आरम्भ की गयी।

**\*2.गिरफ्तारी का विवरण-\*** दिनांक 20.11.22 को उ0नि0 जितेन्द्र कुमार राय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त उबैदउल्लाह खान पुत्र इश्तेयाक सा0 बक्सपुर थाना बरदह आजमगढ को सराय मोहन से समय करीब 21.39 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

**\*3.अपराध का तरीका-\*** अभियुक्त द्वारा मु0अ0सं0 370/22 धारा 376/364/313/504/506 भादवि की वादीनी आमिना खातुन को जबरजस्ती गाड़ी में बैठाकर जान से मारने की नियत से अपहरण कर लेना ।

**\*4.पंजीकृत अभियोग-\*** मु0अ0सं0 370/22 धारा 376/364/313/504/506 भादवि थाना बरदह आजमगढ

**\*5.गिरफ्तार अभियुक्त -\***

उबैदउल्लाह खान पुत्र इश्तेयाक सा0 बक्सपुर थाना बरदह आजमगढ

**\*6.पुलिस टीम-\***

1.उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार राय थाना बरदह जनपद आजमगढ

2.का0 छोटेलाल थाना बरदह जनपद आजमगढ

#### **\*थाना बिलरियागंज\***

**\*अवैध असलहा-कारतूस बिक्री व निर्माण करके सप्लाई करने में प्रकाश में आये काजी गनहाउस का 50 हजार रुपये इनाम घोषित संचालक गिरफ्तार\***

#### **\*संक्षिप्त विवरण-\***

एटीएस उ0प्र0, लखनऊ की सहयोगी एजेन्सी से जनपदीय पुलिस को आसूचना प्राप्त हुई कि बिलारियागंज जनपद आजमगढ के दो व्यक्ति अपने अन्य साथियों के साथ मिल कर अवैध शस्त्रों व अवैध कारतूसों की तस्करी और निर्माण में संलिप्त है। उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक सर्विलांस एवं भौतिक पतारसी-सुरागरसी से विकसित किया गया तो ज्ञात हुआ कि अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज,जनपद आजमगढ जो प्रतिबन्धित कारतूसों और अवैध शस्त्रों की तस्करी में संलिप्त है तथा दूसरे व्यक्ति का नाम मैनुद्दीन शेख पुत्र सम्मू अहमद नि0 ग्राम व पोस्ट पतिला गौसपुर थाना बिलारियागंज जनपद आजमगढ जो अवैध शस्त्रों के निर्माण गन हाउसों से अवैध रूप से कारतूस प्राप्त कर उसकी गैर कानूनी ढंग से बिक्री किये जाने की बात प्रकाश में आयी थी।

जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 235/2022 धारा

3/4/5/7/25/25(1)(1)/25(4)/25(5)/26(1)/26(2)/35 शस्त्र अधिनियम बनाम (1) अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज,जनपद आजमगढ (2) मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्मू अहमद निवासी ग्राम पतिलागौसपुर बिलरियागंज (3) बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ (4) अरशद, काजी गन हाउस आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड आजमगढ व मु0अ0सं0 236/2022 धारा 3/4/5/7/25/25(1)(1)/25(4)/25(5)/26(1)/26(2)/35 आयुध अधिनियम बनाम (1) मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्मू अहमद निवासी ग्राम पतिला गौसपुर बिलरियागंज जनपद आजमगढ (2) अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज,जनपद आजमगढ (3) बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ (4) सैयद काजी अरशद, काजी गन हाउस आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड आजमगढ पंजीकृत किया गया है।

जिसमे अभियुक्तगण अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज,जनपद आजमगढ़ व मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्म् अहमद निवासी ग्राम पतिला गौसपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को दिनांक 28.10.2022 को गिरफ्तार किया गया था ।

**\*गिरफ्तारी का विवरण:-\***

दिनांक 20.11.2022 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज व निरीक्षक कमलेश कुमार पासवान ,ताहिर खान, एटीएस आतंकवाद निरोधक दस्ता आजमगढ़ को मुखबीर से सूचना मिली कि पुरस्कार घोषित अभियुक्त काजी मोहम्मद अरशद पुत्र स्व0 काजी मोहम्मद अब्दुल वाफी किसी काम से आजमगढ़ की तरफ आ रहा है जो वर्तमान में मंदूरी तिराहे पर साधन के इन्तजार में खड़ा है।

इस सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के विवेचक SSI संजय कुमार सिंह थाना सिधारी को सूचना से अवगत कराते हुए मंदूरी तिराहे के पास पहुंचने हेतु बताया गया जिसपर ATS टीम व विवेचक संजय कुमार द्वारा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मुखबीर की निशानदेही पर तिराहे पर खड़े व्यक्ति को घेरकर पकड़ लिया गया जिसकी पहचान काजी मोहम्मद अरशद पुत्र स्व0 काजी मोहम्मद अब्दुल वाफी निवासी आसिफगंज पाण्डेयपुर बाजार रोड थाना कोतवाली आजमगढ़ के रूप में हुयी।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त -\***

1.काजी मोहम्मद अरशद पुत्र स्व0 काजी मोहम्मद अब्दुल वाफी निवासी आसिफगंज पाण्डेयपुर बाजार रोड थाना कोतवाली आजमगढ़

**\*अपराधिक इतिहास\***

1.मु0अ0सं0 235,2022 धारा 3,4,5,7,25,25(1)(1),25(4),25(5),26(1),26(2),35 शस्त्र अधिनियम बनाम (1) अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज,जनपद आजमगढ़ (2) मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्म् अहमद निवासी ग्राम पतिलागौसपुर बिलरियागंज (3) बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ (4) अरशद, काजी गन हाउस आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड आजमगढ़ ।

2.मु0अ0सं0 236,2022 धारा 3,5,7,25,25(1)क,25(4),25(5),26(1),26(2),35 आयुध अधिनियम बनाम (1) मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्म् अहमद निवासी ग्राम पतिला गौसपुर बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ (2) अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज,जनपद आजमगढ़ (3) बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ (4) सैयद काजी अरशद, काजी गन हाउस आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड आजमगढ़ ।

**\*गिरफ्तारी करने वाली टीम\***

1.निरीक्षक कमलेश कुमार पासवान मय हमराह हमराह मु0आ0 ताहिर खान आ0योगेन्द्र चैहान,का0 मनीष कुमार सिंह,का0 राजीव सिंह यादव,का0 धीरेन्द्र कुमार सिंह,का0 सदानन्द यादव एटीएस आतंकवाद निरोधक दस्ता आजमगढ़ ।

2.व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना सिधारी मय हमराह जनपद आजमगढ़।

**\*थाना बिलरियागंज\***

**\*अवैध असलहा-कारतूस बिक्री व निर्माण करके सप्लाई करने में प्रकाश में आये काजी गनहाउस का 50 हजार रुपये इनाम घोषित संचालक गिरफ्तार\***

**\*संक्षिप्त विवरण-\***

एटीएस उ0प्र0, लखनऊ की सहयोगी एजेन्सी से जनपदीय पुलिस को आसूचना प्राप्त हुई कि बिलारियागंज जनपद आजमगढ़ के दो व्यक्ति अपने अन्य साथियों के साथ मिल कर अवैध शस्त्रों व अवैध कारतूसों की तस्करी और निर्माण में संलिप्त है। उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक सर्विलांस एवं भौतिक पतारसी-सुरागरसी से विकसित किया गया तो ज्ञात हुआ कि

अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज,जनपद आजमगढ़ जो प्रतिबन्धित कारतूसों और अवैध शस्त्रों की तस्करी में संलिप्त है तथा दूसरे व्यक्ति का नाम मैनुद्दीन शेख पुत्र सम्मू अहमद नि0 ग्राम व पोस्ट पतिला गौसपुर थाना बिलारियागंज जनपद आजमगढ़ जो अवैध शस्त्रों के निर्माण गन हाउसों से अवैध रूप से कारतूस प्राप्त कर उसकी गैर कानूनी ढंग से बिक्री किये जाने की बात प्रकाश में आयी थी।

जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 235/2022 धारा

3/4/5/7/25/25(1)(1)/25(4)/25(5)/26(1)/26(2)/35 शस्त्र अधिनियम बनाम (1) अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज,जनपद आजमगढ़ (2) मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्मू अहमद निवासी ग्राम पतिलागौसपुर बिलरियागंज (3) बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ (4) अरशद, काजी गन हाउस आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड आजमगढ़ व मु0अ0सं0 236/2022 धारा 3/4/5/7/25/25(1)(1)/25(4)/25(5)/26(1)/26(2)/35 आयुध अधिनियम बनाम (1) मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्मू अहमद निवासी ग्राम पतिला गौसपुर बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ (2) अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज,जनपद आजमगढ़ (3) बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ (4) सैयद काजी अरशद, काजी गन हाउस आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है। जिसमें अभियुक्तगण अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज,जनपद आजमगढ़ व मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्मू अहमद निवासी ग्राम पतिला गौसपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को दिनांक 28.10.2022 को गिरफ्तार किया गया था ।

#### **\*गिरफ्तारी का विवरण:-\***

दिनांक 20.11.2022 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज व निरीक्षक कमलेश कुमार पासवान ,ताहिर खान, एटीएस आतंकवाद निरोधक दस्ता आजमगढ़ को मुखबीर से सूचना मिली कि पुरस्कार घोषित अभियुक्त काजी मोहम्मद अरशद पुत्र स्व0 काजी मोहम्मद अब्दुल वाफी किसी काम से आजमगढ़ की तरफ आ रहा है जो वर्तमान में मंदूरी तिराहे पर साधन के इन्तजार में खड़ा है।

इस सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के विवेचक SSI संजय कुमार सिंह थाना सिधारी को सूचना से अवगत कराते हुए मंदूरी तिराहे के पास पहुंचने हेतु बताया गया जिसपर ATS टीम व विवेचक संजय कुमार द्वारा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मुखबीर की निशानदेही पर तिराहे पर खड़े व्यक्ति को घेरकर पकड़ लिया गया जिसकी पहचान काजी मोहम्मद अरशद पुत्र स्व0 काजी मोहम्मद अब्दुल वाफी निवासी आसिफगंज पाण्डेयपुर बाजार रोड थाना कोतवाली आजमगढ़ के रूप में हुयी।

#### **\*गिरफ्तार अभियुक्त -\***

1.काजी मोहम्मद अरशद पुत्र स्व0 काजी मोहम्मद अब्दुल वाफी निवासी आसिफगंज पाण्डेयपुर बाजार रोड थाना कोतवाली आजमगढ़

#### **\*अपराधिक इतिहास\***

1.मु0अ0सं0 235,2022 धारा 3,4,5,7,25,25(1)(1),25(4),25(5),26(1),26(2),35 शस्त्र अधिनियम बनाम (1) अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज,जनपद आजमगढ़ (2) मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्मू अहमद निवासी ग्राम पतिलागौसपुर बिलरियागंज (3) बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ (4) अरशद, काजी गन हाउस आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड आजमगढ़ ।

2.मु0अ0सं0 236,2022 धारा 3,5,7,25,25(1)क,25(4),25(5),26(1),26(2),35 आयुध अधिनियम बनाम (1) मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्मू अहमद निवासी ग्राम पतिला गौसपुर बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ (2) अफताब आलम पुत्र फिरोज आलम नि0 फलानगर थाना बिलारियागंज,जनपद आजमगढ़ (3) बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ (4) सैयद काजी अरशद, काजी गन हाउस आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड आजमगढ़ ।

#### **\*गिरफ्तारी करने वाली टीम\***

1.निरीक्षक कमलेश कुमार पासवान मय हमराह हमराह मु0आ0 ताहिर खान आ0योगेन्द्र चौहान,का0 मनीष कुमार सिंह,का0 राजीव सिंह यादव,का0 धीरेन्द्र कुमार सिंह,का0 सदानन्द यादव एटीएस आतंकवाद निरोधक दस्ता आजमगढ़ ।

2.व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना सिधारी मय हमराह जनपद आजमगढ।